राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर (रसद), झालावाड़

क्रमांक एफ2(1)रसद/एफपीएस/नवीन आवंटन/2025/ 6058 दिनांक 28 11.2025

—::विज्ञप्ति::—

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत जिले की तहसील पचपहाड/गंगधार/पिडावा/झालरापाटन/खानपुर (ग्रामीण एवं शहरी) क्षेत्र में उचित मूल्य की रिक्त दुकानों पर नवीन आवंटन हेतु इच्छुक एवं पात्र व्यक्तियों से राजस्थान खाद्यान एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के खण्ड 3(1) के तहत प्राधिकार पत्र जारी किये जाने हेतु आवेंदन पत्र आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया है । निम्न रिक्त /अटैचमेन्ट चल रही दुकानों पर नवीन आवंटन हेतु विज्ञप्ति जारी कर उचित मूल्य दुकानों के नवीन आवंटन हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते है ।

क्रं.सं.	तहसील	एफपीएस दुकानदार का नाम	एफपीएस कोड	महिला आरक्षित/अनारक्षित
1	पचपहाड़	गुढा— प्रथम	7289	अनारक्षित
2		भवानीमण्डी शहर वार्ड नंबर 18	2906	महिला आरक्षित
3	गंगधार	रनायरा —प्रथम	7413	अनारक्षित
4	पिडावा	रामपुरिया — द्वितीय	7890	अनारक्षित
5	झालरापाटन	झालरापाटन शहर वार्ड नंबर 17	1741	महिला आरक्षित
6		झालावाड़ शहर वार्ड नंबर 06	2338	अनारक्षित
7		झालावाड़ शहर वार्ड नंबर 08	1971	अनारक्षित
8		झालावाड़ शहर वार्ड नंबर 25	24534	अनारक्षित
9	खानपुर	मउबोरदा — द्वितीय	15033	महिला आरक्षित
10		खानपुर शहर वार्ड नंबर 03	7185	अनारक्षित
11		दहीखेडा — द्वितीय	7201	अनारक्षित

इस हेतु विभागीय निर्देश दिनांक 17.03.2016 के अन्तर्गत जिला रसद अधिकारी कार्यालय से 100/—पोस्टल आर्डर जमा कर आवेदन पत्र दिनांक 28.11.2025 से 12.12.2025 तक (कार्यालय समय में) प्राप्त किये जाकर दिनांक 12.12.2025 तक (कार्यालय समय) निर्धारित प्रपत्र में संलग्न चेक लिस्ट अनुसार आवश्यक दस्तावेजों के साथ जिला रसद अधिकारी कार्यालय, झालावाड में जमा करवाये जा सकेगें।

उपरोक्त रिक्तियों के संबंध में विभागीय पत्र क्रमांक एफ.17(1)खा.वि./विधि/08 जयपुर दिनांक 17.03.2016 एवं एफ17(5)खावि/न्याय/महि.आर/2019 दिनांक 25.11.2020 द्वारा जारी उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के दिशा—निर्देशों में वर्णित चयन प्रक्रियानुसार कार्यवाही की जानी है । दिनांक 17.03.2016 के दिशा निर्देश तथा रिक्त नवसृजित उचित मूल्य दुकानों के संबंध में विस्तृत जानकारी विभागीय वैबसाईट food.rajasthan.gov.in, जिला कलक्टर की वेबसाईट http://jhalawar.rajasthan.gov.in पर तथा जिला रसद अधिकारी कार्यालय झालावाड़ में अवलोकन हेतु उपलब्ध है । उक्त रिक्तियों की संख्या में कमी/बढोतरी/संशोधन विभाग/कार्यालय द्वारा किया जा सकता है तथा रिक्तियों को भरने/ना भरने के संबंध में विभाग/कार्यालय का निर्णय सुरक्षित रहेगा ।

(अजय सिंह राठौड़)

जिला कलक्टर (रसद)

झालावाड.

Scanned with CamScanner

आवेदक की योग्यता, आवंटन प्रक्रिया एवं शर्ते

आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में होगा, जिस पर आवेदनकर्त्ता का छाया चित्र लगा होगा तथा 2 छाया चित्र अलग से आवेदन के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र केवल संबंधित जिला रसद कार्यालय झालावाड से जारी किये जायेगें। अन्य किसी स्थान यथा टाईपिस्ट नोटेरी बुक स्टोर से प्राप्त किये गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं जायेंगे। एक आवेदन पत्र का मूल्य 100/– रूपये जमा निर्धारित है। जिला रसद कार्यालय से निर्धारित शुल्क का भारतीय पोस्टल आर्डर जमा कराया जाकर प्राप्त किये जा सकेंगे।

1. आवेदन पत्र प्राप्त करने की प्रारम्भ व अन्तिम तिथि 28.11.2025 से प्रारम्भ होकर वापस जमा 12.12.2025 तक सांय 6:00 बजे तक रहेगी।
2. शहरी क्षेत्र की उचित मूल्य की दुकान हेतु आवेदक के मामले में आवेदक उसी वार्ड का निवासी होना चाहिये जिस वार्ड के उपभोक्ताओं को राशन सामग्री वितरण करनी है अर्थात् उस उचित मूल्य दुकान की अधिकारिता क्षेत्र में स्थित वार्डो में से किसी एक वार्ड का निवासी होना चाहिये। ग्रामीण क्षेत्र की उचित मूल्य दुकान के मामलों में आवेदक उसी पंचायत के किसी भी ग्रांम या वार्ड का निवासी होना आवश्यक है, जिस पंचायत में उचित मूल्य दुकान स्थित है। (उचित मूल्य दुकान के क्षेत्र के निवासी होने के संबंध में प्रमाण–पत्र स्वरूप राशन कार्ड/वोटर लिस्ट/मूल निवास/निर्वाचन आयोग का परिचय पत्र/आधार कार्ड/जनाधार कार्ड में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत किया जा सकेगा)
3. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को सभी श्रेणी के आवेदको की आयु 21 से 45 वर्ष होनी चाहिये अर्थात् उचित मूल्य दुकान के आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को आवेदक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चहिये। (उम्र के प्रमाण हेतु दसवी की अंक तालिका/प्रमाण–पत्र या अन्य अंक तालिका/प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि अंकित हो या पासपोर्ट/मतदाता पहचान पत्र/ड्राईविंग लाईसेंस/आधार कार्ड/पेन कार्ड में से किसी एक की स्वप्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जा सकती है)
4. शैक्षणिक योग्यता सामान्य रूप से स्नातक उतीर्ण/उच्च माध्यमिक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, परन्तु प्रथम प्राथमिकता स्नातक उत्तीर्ण को ही दी जावेगी। स्नातक उर्तीण फार्म न आने की दशा में उच्च माध्यमिक उत्तीर्ण पर विचार किया जावेगा। परिपत्र दिनांक 17.03.2016 एवं 25.11.2020 के दिशा निर्देश के अनुसार होगी एवं कम्प्यूटर में न्यूनतम जानकारी राजस्थान नॉलेज कापरेशन लिमिटेड (आर.के.सी.एल.) या अन्य समकक्ष सरकारी संस्थान का तीन माह का आधारभूत प्रशिक्षण होना चाहिये। यदि आवेदक कम्प्यूटर में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हो तो आवेदन के साथ आवेदक यह शपथ–पत्र देगा कि चयनित होने के 08 माह की अवधि में प्रशिक्षण प्राप्त कर लेगा व ऐसे चयनित व्यक्तियों को प्रशिक्षण के बाद प्राधिकार पत्र दिया जावेगा। आवेदक समितिया/समूह निकाय होने पर संबंधित अध्यक्ष/सचिव/प्रबधंक को कम्प्यूटर दक्षता एवं शैक्षणिक योग्यताओं को पूर्ण करना अनिवार्य होगा। इस बाबत् प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
5. आवेदक को आवेदन पत्र में अंकित घोषणाओं के संबंध में 50/– रूपये नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर नोटेरी से सत्यापित शपथ पत्र देना होगा।
6. उचित मूल्य दुकान हेतु आवेदन करने वाले पुरूष/महिला के दिनांक 01.01.2025 के बाद पैदा हुई संतान सहित दो से अधिक संतान नहीं होनी चाहियें। दिनांक 01.01.2025 के पश्चात् दो से अधिक संतान होने की स्थिति में आवेदन का पात्र नहीं होगा परन्तु किसी आवेदक के दिनांक 31.12.2024 को एक ही संतान है तथा पश्चातवर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतान हो जाती है तो संतानों की गणना करते समय इस प्रकार एक प्रसव से पैदा हुई संतानों को एक ही ईकाई माना जावेगा।
7. आवेदन पत्र केवल जिला रसद कार्यालय में कार्यालय समय में 100 रु. के भारतीय पोस्टल आर्डर जमा कराकर प्राप्त किये जा सकेंगे। आवेदन–पत्र के सभी कॉलम पूर्ण रुप से भरे जाकर आवेदक द्वारा निर्धारित दस्तावेजो के साथ स्वप्रमाणित कर कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। अपूर्ण/अधूरे/अस्पष्ट आवेदन निरस्त कर दिये जावेंगे।
8. प्रस्तावित दुकान का नक्शा साईट प्लान रूट प्लान के साथ सही माप में दर्शा कर तीन प्रति में स्वप्रमाणित करके प्रस्तुत किया जावेगा। नक्शे में प्रस्तावित दुकान्न के आगे पिछे व दाये–बाये स्थित भवनों/स्थानों/भूमि/सडक का स्पष्ट विवरण दिशा ज्ञान के साथ अंकित किया जाना है। प्रस्तावित दुकान किराया की होने पर अनुबन्ध की प्रति/स्वयं की होने की पट्टे की प्रति स्वप्रमाणित कर संलग्न की जावें। दुकान..केन्द्र स्थल पर स्थित हो ताकि उपभोक्ता आसानी से पहूच सकें। प्रस्तावित दुकान सुरक्षा एवं यातायात के साधन के दृष्टिकोण से उचित स्थान पर होनी चाहिये।
9. संबंधित तहसीलदार द्वारा आवेदक के संबंध में जारी न्यूनतम 1,00,000/– रूपये का मूल (हैसियत का प्रमाण पत्र 6 माह से अधिक पुराना होने पर मान्य नहीं होगा) महिला स्वयं सहायता समूह के लिये कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता की अभिशंषा सहित समूह की वित्तीय हैसियत न्यूनतम 25,000/– रुपये होना आवश्यक है।
10. आवेदक द्वारा दी गई सूचनाएं गलत पाये जाने पर आवंटन रद्द करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा।
11. आवेदक द्वारा निम्न बिन्दुओं को अंकित करते हुए एक घोषणा पत्र दिया जावेगा–
    - आवेदक पूर्व में ई.सी. एक्ट के तहत दण्डित नही हुआ है।
    - आवेदक द्वारा दुकान का दुकान का संचालन स्वयं के द्वारा किया जावेगा।
    - आवेदक के परिवार में किसी सदस्य यथा, माता, पिता, पुत्र, पुत्री के नाम से पूर्व में कोई दुकान नही है।
    - आवेदक को विधिक रुप से अयोग्य घोषित नही किया गया है।
    - आवेदक स्वयं जनप्रतिनिधि नहीं है।
    - आवेदक बालिग एवं स्वस्थ चित्त है, चाल चलन अच्छा है तथा कभी दिवालिया घोषित नही हुआ है।
    - आवेदक द्वारा दिनांक 01.01.2025 के बाद दो से अधिक संतान नही होने का स्पष्ट कथन किया जायेगा।
12. उचित मूल्य दुकान प्राधिकार पत्रधारी जिनके विरुद्ध गंभीर अनिमियतताऐं पाये जाने पर गत वर्षो में प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया हो तो ऐसे आवेदक को उचित मूल्य दुकान आवंटित नहीं की जावेगी।
13. आवेदन पत्रो की वरियता/प्राथमिकता खाद्य विभाग के पत्रांक दिनांक 17.03.2016 एवं 25.11.2020 के अनुसार रहेगी –
    प्रथम वरियता

Scanned with CamScanner

1. आवेदक ग्रांम सेवा सहकारी समिति/लेम्पस (वृहत्तर क्षेत्रिय बहुद्देशीय सहकारी समिति)/दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति जो कि सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत होना आवश्यक है
2. आवेदक "महिला स्वयं सहायता होने पर जो राज्य सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग से चयनित अथवा मान्यता प्राप्त हो तथा न्यूनतम 3 वर्ष कार्य अनुभव हो। समूह का कम से कम 3 वर्ष पूर्व का बैंक में खाता खुला हो। समूह का गठन कम से कम 03 वर्ष पूर्व का हुआ हो। समूह के सदस्य 3 वर्ष से आन्तरित लेन–देन में संलग्न हो।
3. आवेदक ग्राम पंचायत/निगमित निकाय होने पर आवेदक/समितियों/समूह/निकाय में सचिव/प्रबंधक का कम्प्यूटर दक्ष एवं शैक्षणिक योग्यताओं को पूर्ण करना अनिवार्य होगा। इस बाबत् प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

<u>द्वितीय वरियता</u>

1. दिव्यांग (बेरोजगार)
2. भूतपूर्व सैनिक (बेरोजगार)
3. अन्य पात्र (बेरोजगार)

महिला आरक्षित दुकान हेतु वरियता

1. दिव्याग महिला (बेरोजगार) 2. शहीद की विधवा (वीरांगना) बेरोजगार 3. विधवा (बेरोजगार) 4. परित्यक्ता (बेरोजगार)
2 भूतपूर्व सैनिक महिला (बेरोजगार) 6. अन्य पात्र महिला (बेरोजगार)

- यदि आवेदक महिला स्वयं सहयता समूह है तो आवेदन पत्र के साथ संस्था का विधान पत्र ताकि आवेदक के नाम आवेदन करने जारी हेतु प्रस्ताव पत्र की प्रति संलग्न करनी होगी। उपनिदेशक/सहायक निदेशक, महिला बाल विकास से चयनित अथवा मान्यता प्राप्त होने का प्रमाण पत्र मय तीन संपरीक्षा (ऑडिट रिपोर्ट) में गंभीर अनियमितता नहीं होने का प्रमाण पत्र तथा समूह की वित्तीय हैसियत के संबंध में उनकी अंशपूंजी विवरण कार्यशील पूंजी विवरण तथा वार्षिक कुल राशि का विवरण एवं विगत दो वित्तीय वर्ष व चालू वर्ष के बैंक खाते का स्टेटमेन्ट की प्रति मय उप निदेशक/सहायक निदेशक की अंभिशंसा संलग्न करनी होगी।
- यदि आवेदक सहकारी समितियां है जो कि सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हो तो आवेदन पत्र के साथ संस्था का विधान पत्र तथा आवेदक के नाम आवेदन करने हेतु जारी प्रस्ताव पत्र की प्रति संलग्न करनी होगी। सहायक पंजीयक/उप पंजीयक से मान्यता प्राप्त होने का प्रमाण पत्र मय तीन संपरीक्षा (ऑडिट रिपोर्ट) में गंभीर अनियमितता नहीं होने का प्रमाण–पत्र तथा समूह की वित्तीय हैसियत के संबंध में अंशपूंजी विवरण कार्यशील पूंजी विवरण तथा वार्षिक कुल राशि का विवरण एवं विगत दो वित्तीय वर्ष व चालू वर्ष के बैंक खाते का स्टेटमेन्ट की प्रति सहायक पंजीयक/उपपंजीयक की अंभिशंसा करनी होगी।
- दिव्यांगआवेदक द्वारा स्वास्थ्य विभाग का प्रमाण पत्र या समाज कल्याण विभाग का प्रमाण पत्र, वीरांगना को सेना द्वारा जारी प्रमाण पत्र, विधवा व परिक्यक्ता को संबंधित विभाग का प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक को सेना से डिस्चार्ज होने का प्रमाण पत्र तथा बेरोजगार को एम्प्लोयमेंट एक्सचेंज का पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।

14. पात्र बेरोजगार आवेदक को चयनित उचित मूल्य दुकानदार की कार्य करने की अधिकतम 60 वर्ष की आयु तक होगी।
15. सभी आवेदकों को दो राजपत्रित अधिकारियों के चरित्र प्रमाण–पत्र आवेदन के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करने है।

28.11.2025
जिला रसद अधिकारी
झालावाड

क्रमांक एफ2(1)रसद/एफपीएस/नवीन आवंटन/2025/ 6059-80 दिनांक 28.11.2025

प्रतिलिपि–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित है–

1. श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. श्रीमान् अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. श्रीमान् उपायुक्त एवं उप शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर
4. ए.सी.पी. खाद्य विभाग, जयपुर को विभागीय वेबसाईट food.rajasthan.gov.in पर अपलोड करवाने हेतु
5. ए.सी.पी. डीओआईटी, वेबसाईट jhalawar.rajasthan.gov.in पर अपलोड करवाने बाबत् ।
6. माननीय सांसद महोदय, झालावाड–बारां
7. माननीय विधायक महोदय, विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना/डग/झालरापाटन/खानपुर
8. उपखण्ड अधिकारी गंगधार/मनोहरथाना को उनके कार्यालय में चस्पा करने हेतु All SDO
9. तहसीलदार गंगधार/मनोहरथाना को उनके कार्यालय में चस्पा करने हेतु All TDR
10. सम्बन्धित ग्राम पंचायत के सरपंच को उनके कार्यालय में चस्पा करने हेतु
11. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, झालावाड को आवश्यक प्रचार प्रसार बाबत् ।
12. प्रवर्तन निरीक्षक समस्त.....................झालावाड
13. अन्य/रक्षित पत्रावली

जिला रसद अधिकारी
झालावाड